न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 273/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 भलदान पुत्र कंवदान 2 राणू चारण पत्नी भलदान जाति चारण निवासी सुरा चारणान तहसील व जिला बाडमेर।		1 लाधूदान पुत्र रूपादान 2 उतमदान पुत्र तगादान 3 लसमी पत्नी तगादान 4 टीलदान पुत्र हेतुदान 5 ढेलीदान पत्नी हेतुदान 6 मुकनदान 7 सवाईदान पिसरान हेतुदान जाति चारण निवासी सुरा चारणान तहसील व जिला बाडमेर 8 प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा विशाला 9 प्रबन्धक भारतीय स्टेड बैंक शाखा भादरेश 10 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री सुनिल बीएल रामावत, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री चुतरदान चारण, वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 07।

आदेश

दिनांक 10.08.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सुरा चारणान पटवार क्षेत्र सुरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 178/36 रकबा 3.8607 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के खसरा संख्या 216/51, 52 व 232/34 में से सरकारी रास्ता तक जाने का एक–मात्र रास्ता है जो परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शित है, जो मौके पर कच्चा रास्ता मौजूद है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की और से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय से निकलने वाले खसरा संख्या 50 में से कदीमी रास्ता वक्त भू पैमाईश से पूर्व से लेकर आज दिन तक रास्ता मौजूद है, जो रास्ता प्रार्थीगण द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है तथा इसी रास्ते पर प्रार्थीगण की तारबन्दी कर गेट लगाया हुआ है, जिससे आना–जाना होता है। अप्रार्थीगण के खेत से आने–जाने का न तो पूर्व में कोई रास्ता था न ही वर्तमान में कोई रास्ता है। प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को तंग करने व परेशान करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "अ" में बरंग लाल से प्रदर्शित से कोई रास्ता मौके पर मौजूद नही है तथा न ही सार्वजनिके सभा भवन एवं प्रार्थीगण के खेत तक आने–जाने हेतु मुरडिया रोड मौके पर मौजूद है तथा न ही अप्रार्थीगण ने सड़क निर्माण के लिए कोई सहमति दी है तथा प्रार्थीगण के पास स्थायी रूप से पूर्व में रास्ता मौजूद है जो खसरा संख्या 50 के सहारे प्रार्थीगण के खेत तक रास्ता जाता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन खारिज कर प्रार्थीण के आने जाने हेतु कदीमी रास्ता

ग्राम सूरा पंचायत से खसरा संख्या 50 के सहारे इनके दोनों खेतो तक आ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण को रास्ते की कोई आवश्यकता नही होने से प्रार्थीगण का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमावें।

तहसीलदार बाडमेर से उक्त रास्ते के सम्बन्ध में मौके व रेकर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

उप तहसीलदार विशाला के पत्रांक भू.अ./2023/03 दिनांक 02.03.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि मौजा सुरा चारणान पटवार क्षेत्र सुरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 178/36 रकबा 23.17 बीघा भूमि से सरकारी सड़क तक आने–जाने हेतु मौके पर रास्ते से लगता नही है तथा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण की जोत तक आने–जाने हेतु खसरा संख्या 188/35 रकबा 07.03 बीघा गै.मु.मगरा व खसरा संख्या 216/51 रकबा 09.15 बीघा बा.सो. तथा खसरा संख्या 52 रकबा 35.08 बीघा बा.दो. में से न्यूनतम दूरी का रास्ता संलग्न नक्शा में बरंग हरा से प्रदर्श अनुसार प्रस्तावित है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है तथा असिंचित भूमि की श्रेणी में आती है। खसरा संख्या 52 डामर सड़क पर है। प्रस्तावित रास्ता सुरा से नांद जाने वाली डामर सड़क तक आवागमन के बीच में खसरा संख्या 188/35 रकबा 07.03 बीघा गै.मु.मगरा व खसरा संख्या 216/51 रकबा 09.15 बीघा बा.सो. तथा खसरा संख्या 52 रकबा 35.08 बीघा बा.दो. भूमि आती है। अतः प्रार्थीगण के खसरा संख्या 178/36 के रास्ते हेतु खसरा संख्या 188/35, 216/51 व 52 में से 13 फीट चौड़ाई का रास्ता निम्नानुसार प्रस्तावित किया है :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	किस्म	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई	प्रस्तावित मार्ग का रकबा	डीएलसी दर प्रति बीघा
1	2	3	4		5	6	7
1	राजस्थान सरकार	188/35	07.03 बीघा	गै.मु. मगरा	201 फीट X 13 फीट	0.03 बीघा	45765.00
2	लाधूदान पुत्र रूपदान कौम चारण सा. देह खातेदार रहन टीएजीबी शाखा बिशाला	216/51	09.15 बीघा	बा.सो.	402 फीट X 13 फीट	0.06 बीघा	45765.00
3	उतमदान लसमी पिसरान तगा कौम चारण सा. देह खातेदार रहन तसमी की हिस्सा एसबीबीजे शाखा भादरेश	52	35.08 बीघा	बा.दो.	603 फीट X 13 फीट	0.09 बीघा	68636.00

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि उप तहसीलदार विशाला द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के संलग्न परिशिष्ठ में बरंग हरा के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 07 ने उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौके का प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध करवाया है वह उन्हे अस्वीकार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 से 07 ने उप तहसीलदार बिशाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि उक्त मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अनुपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौके की जांच किये बिना तैार की गई है। प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियां ग्राम पंचायत मुख्यालय सुरा में आई हुई है उक्त रहवासी ढाणी से खेत खसरा संख्या 178/36 में जाने के लिए सूरा गांव के एक कदीमी रास्ता प्रार्थी के भाई के खेत खसरा संख्या 50 में से होते हुए इनके अन्य खेत खसरा संख्या 245/38 में से पहुंचता है। उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है तथा यही रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 178/36 के निकट पड़ता है, जो रास्ता प्रार्थीगण वर्तमान उपयोग में ले रहे है तथा प्रार्थीगण के पूर्वज भी उक्त रास्ता उपयोग में लेते आ रहे थे। अतः उप तहसीलदार बिशाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की मौजुदगी में पुनः तैयार कर तलब करवाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली के अवलोकन एवं उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण का अपनी कृषि जोत में आने-जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। सरपंच ग्राम पंचायत सुरा चारणान ने भी प्रार्थीगण के पास आने-जाने हेतु रास्ता नही है तथा बाडमेर से हरसाणी रोड से ढाणी तक रास्ता कटान करने पर कोई आपति नही है। अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई ठोस कारण प्रस्तुत नही किया जिससे उप तहसीलदार बिशाला से मौका रिपोर्ट पुनः तलब करवाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण की ढाणी से सार्वजनिक सभा भवन हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है, अंकित किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र, जमाबन्दी एवं नक्शों का भी अवलोकन किया। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में आवेदन स्वीकार किया जाता है। मौजा सुरा चारणान पटवार क्षेत्र सुरा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 178/36 रकबा 3.8607 हैक्टयर भूमि से सरकारी सड़क तक आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की भूमि खसरा संख्या 188/35 रकबा 07.03 बीघा गै.मु.मगरा व खसरा संख्या 216/51 रकबा 09.15 बीघा बा.सो. तथा खसरा संख्या 52 रकबा 35.08 बीघा बा.दो. जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग हरा दर्शाई गई है। प्रार्थीगण उक्त हिस्सा अनुसार राशि के बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थी 01 से 07 को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उप तहसीलदार विशाला द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 10.08.2023 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर